

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 मई 2011—वैशाख 21, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मई 2011

क्र. एफ. ए-3-39-2010-1-पांच(49).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-107-98-वि.क.-पांच (44), दिनांक 1 मई, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम (2) में, अंक और शब्द “31 मार्च, 2010” के स्थान पर, अंक और शब्द “31 मार्च, 2011” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2011

क्र. एफ. ए-3-39-2010-1-पांच(49)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-39-2010-1-पांच(49), दिनांक 11 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th May 2011

F-No. A-3-39-2010-1-V(49).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification No. A-3-107-98-ST-V(44) dated the 1st May, 1999 namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule, in column (2), for the figures and word “31st March, 2010”, the figures and word “31st March, 2011” shall be substituted.

By order and in the name the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.